न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

क्रमांकः /जिकके/ कोर्ट/रीडर/2024/852 दिनांकः– 10.7.24

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
जिला केकड़ी

विषय :– न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी की निर्णित पत्रावली के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निम्न इस्तगासा को स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र0 सं0	प्रकरण सं0	उनवान	संबंधित थाना	निर्णय दिनांक
1	02/2024	सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला केकड़ी बनाम चन्द्रप्रकाश पुत्र रामदेव जाति रेगर	पुलिस थाना केकड़ी सदर	10.07.2024

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

पीठासीन अधिकारी
न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

क्रमांकः /जिकके/ कोर्ट/रीडर/2024/853-54 दिनांकः– 10.7.24

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. **थानाधिकारी, पुलिस थाना केकड़ी सदर जिला केकड़ी।**
2. **थानाधिकारी, पुलिस थाना सावर जिला केकड़ी।**

पीठासीन अधिकारी
न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 02 / 2024

1. सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला केकड़ी

..... सायल

बनाम

2. चन्द्रप्रकाश पुत्र रामदेव जाति रेगर उम्र 28 साल निवासी कोहडा पुलिस थाना केकड़ी सदर जिला केकड़ी।

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :– 1–अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार।
2–गैर सायल एवं उनके अभिभाषक श्री सीताराम गुप्ता।

::–<u>निर्णय</u>–:: दिनांक 10.07.2024

1. पुलिस अधीक्षक, केकड़ी द्वारा गैर सायल चन्द्रप्रकाश पुत्र रामदेव जाति रेगर उम्र 28 साल निवासी कोहडा पुलिस थाना केकड़ी सदर जिला केकड़ी के विरूद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।
2. इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा आरोपों को स्वीकार किया गया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।
3. अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्ध अभियोग क्रमशः 537 दिनांक 18.12.2018 थाना केकड़ी सिटी, 71 / 2021 दिनांक 01.02.2021 थाना केकड़ी सिटी, 748 / 2021 दिनांक 22.12.2021 थाना केकड़ी सिटी, 433 / 2022 दिनांक 16.09. 2022 थाना केकड़ी सिटी धारा 13 RPGO अधिनियम में दर्ज होकर चारों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही बदमाशान के साथ उठ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
केकड़ी

बैठ कर शराब पीना व जुआ खेलने का अपराध करने लग गया है। लोगों को अपराध करने व जुआ खेलने के लिए उकसाता है जिसकी वजह से समाज के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावें।

4. गैर सायल के अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवंल धारा 13 RPGO अधिनियम के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणो का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में गैर सायल द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया गया है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

5. हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल के अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्व उक्त प्रकरण जुआ खेलने से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने का आदी है। इस कारण समाज के लोगो पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

6. अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, केकड़ी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल चन्द्रप्रकाश पुत्र रामदेव जाति रेगर उम्र 28 साल निवासी कोहडा पुलिस थाना केकड़ी सदर जिला केकड़ी को दिनांक 10.07.2024 से 24.07.2024 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना केकड़ी सदर जिला केकड़ी से पुलिस थाना सावर जिला केकड़ी के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधो की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सावर जिला केकड़ी के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना सावर जिला केकड़ी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
केकड़ी